International Journal of Science and Social Science Research [IJSSSR] ISSN: 2583-7877

भारतीय संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार

डॉ0 पुष्पा सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र विभाग)

कमला आर्य कन्या पी० जी० कालेज, मीरजापुर

Author Email: pushpadeepaksingh@gmail.com

सारांश–प्राचीन काल से ही भारत में शिक्षा मोक्ष प्राप्ति, विश्व शांति, मानव का सर्वांगीण विकास, मानव की नैतिक एवं चारित्रिक उन्नति, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास आदि पर प्रमुखता से बल देती है। वास्तव में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य सदैव ही अपने ज्ञान, बुद्धि एवं विवेक से अपने चारों तरफ की परिस्थितियों का निरंतर निरीक्षण करता रहता है और उसमें निरंतर सुधार के लिए प्रयत्नशील रहता है, जिसके लिए वह निरंतर अपने जीवन पद्धति, रीति रिवाज, रहन–सहन, आचार–विचार के साथ–साथ विभिन्न अविष्कारों और अनुसंधानों के द्वारा स्वयं को एक जंगली पशु से सभ्य मनुष्य बनाने का प्रयास भी करता है साथ ही साथ अपने सांस्कृतिक विकास और उन्नति के लिए भी प्रयत्नशील रहता है।

संस्कृति और शिक्षा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहते हैं, यदि शिक्षा किसी समाज की संस्कृति को आकार देती है तो संस्कृति भी शिक्षा को एक दिशा प्रदान करती है। संस्कृति शिक्षा के लिए सामग्री और प्रेरणा प्रदान करने के लिए नेतृत्व करती है तो शिक्षा भी संस्कृति को संरक्षित एवं समृद्ध करती है तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने के लिए वचनबद्ध रहती है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि मनुष्य को कला, शिक्षा, ज्ञान, चरित्र, व्यवहार, विज्ञान, अनुसंधान और अन्य सांस्कृतिक अनुभव तक पहुँच प्राप्त हो। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित अनुच्छेद 29 एवं 30 भारत देश के नागरिकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार प्रदान करता है, जो की अपनी शिक्षा, संस्कृति, भाषा एवं लिपि आदि को बनाए रखने तथा उससे संबंधित संस्थाओं और उनके प्रशासन का अधिकार सुनिश्चित करता है। यह अनुच्छेद विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की संस्कृति एवं शिक्षा को सुरक्षित करने पर मुख्य रूप से बल देता है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार व्यक्ति के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ यह दूसरों के अधिकारों एवं दूसरों की संस्कृतियों को समझने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

मुख्य शब्द– संस्कृति, अधिकार, शिक्षा, भारतीय, मनुष्य एवं शैक्षिक अधिकार।

I. प्रस्तावना

शिक्षा व्यक्ति में ज्ञान, चरित्र, कौशल और सदाचार आदि को हासिल करने की एक प्रक्रिया मानी जाती है, शिक्षा के द्वारा बालक के जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है। शिक्षा समाज में सदैव चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों ही लाभान्वित होते हैं शिक्षा एक क्रमिक प्रक्रिया भी है, जो मानव के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ले आती हैं, जिससे मानव का शारीरिक विकास के साथ ही बौद्धिक, नैतिक एवं चारित्रिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सौंदर्यात्मक एवं आध्यात्मिक विकास होता है।

शिक्षा के द्वारा व्यक्ति समाज में अपने अधिकारों को समझता है और अपनी पहचान भी बनाता है साथ ही साथ उसे समाज में सफल समायोजन में भी सहयोग मिलता है। समाज शिक्षा के द्वारा ही अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने का प्रयास करता है। शिक्षा एक संस्था के रूप में भी कार्य करती है, व्यक्ति विशेष को समाज से जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है तथा समाज की संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने में भी अपना संपूर्ण सहयोग देती है। भारतीय संदर्भ में शिक्षा प्रारंभ से ही मोक्ष प्राप्ति, विश्व शांति, मानव का सर्वांगीण विकास व नैतिक एवं चारित्रिक उन्नति, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास आदि पर प्रमुखता से बल देती है। बालक का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। बालक शिक्षा द्वारा समाज के आधारभूत नियमों आदर्शों, व्यवहारों, प्रतिमानों, मूल्यों, व्यवस्थाओं आदि को समझता एवं सीखता है। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदा चलने वाली सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिमार्जन किया जाता है और इस प्रकार मनुष्य को सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है।

संस्कृति किसी समाज में गहनता से अब तक व्याप्त गुणों का समग्र रूप है, जिससे उस समाज के सोचने, समझने, विचार करने एवं क्रिया करने के स्वरूप का ज्ञान होता है, संस्कृति का शब्द का आशय है, उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। मनुष्य अपने स्वभाव से ही एक प्रगतिशील गुणों वाला प्राणी है। वह सदैव ही अपने ज्ञान बुद्धि एवं विवेक से अपने चारों तरफ की परिस्थितियों का निरंतर निरीक्षण करता रहता है और उसमें निरंतर सुधार के लिए प्रयत्नशील रहता है जिसके लिए वह निरंतर अपनी जीवन–पद्धति, रीति–रिवाज, रहन–सहन, आचार–विचार के साथ साथ विभिन्न अविष्कारों और अनुसंधानों के द्वारा स्वयं को जंगली पशु से सभ्य मनुष्य बनने का

प्रयत्न करता रहता है। सभ्यता, संस्कृति का ही एक अंग है। सभ्यता से मनुष्य की भौतिक प्रगति का अनुमान होता है तथा संस्कृति से मानसिक या बौद्धिक विकास में वृद्धि होती है। मनुष्य के मन और आत्मा की तृप्ति भोग विलास से पूर्ण नहीं होती, बल्कि अपनी संस्कृति के विकास से होती है क्योंकि संस्कृति किसी भी समाज की आत्मा है एवं उसे दिशा प्रदान करती है।

भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन एवं समृद्ध, संस्कृति एवं सभ्यता है। इसे विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति भारत में जीवन के सभी क्षेत्रों में सदैव मार्गदर्शन प्रदान करती है और इसका विशेष स्थान निश्चित रहता है। अन्य देशों की सभ्यता एवं संस्कृति जहाँ समय के साथ धीरे–धीरे नष्ट होती रही, भारत की संस्कृति व सभ्यता आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ आगे बढ़ती रही। भारत में 'वसुधैव कुटुंबकम' की धारणा में गहरी आस्था रहती है, यहाँ शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का विकास ही संस्कृति की कसौटी है, चाहे समय कितना भी बदल गया हो, भारतीय संस्कृति हमेशा अपने आत्मा को बनाए रखेगी क्योंकि भारतीय संस्कृति ऐसे सिद्धांतों पर आश्रित है, जो प्राचीन होते हुए भी नए हैं। यह सिद्धांत किसी देश या जाति से बँधे हुए नहीं है बल्कि यह संस्कृति मनुष्य कल्याण करने वाली है, यह विश्वबंधुता बढ़ाने वाली संस्कृति है।

संस्कृति और शिक्षा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहते है, यदि शिक्षा किसी समाज की संस्कृति को आकार देती है तो संस्कृति भी शिक्षा को एक दिशा प्रदान करती है संस्कृति शिक्षा के लिए सामग्री और प्रेरणा प्रदान करने के लिए नेतृत्व करती है तो शिक्षा भी संस्कृति को संरक्षित एवं समृद्ध करती है तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने के लिए वचनबद्ध रहती है भारतीय संस्कृ ति उन्नत, लोचनीय, दूसरों की संस्कृति से अच्छी बातें ग्रहण करने वाली, अपनी संस्कृति को निरंतर परिमार्जित करने वाली, रूढ़िवादी एवं गलत परम्पराओं को स्वयं से दूर करने वाली संस्कृति है।

संस्कृति और शैक्षिक अधिकार समाज में सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का कला, शिक्षा और अन्य सभी सांस्कृतिक अनुभव तक पहुँच प्राप्त हो। अधिकांश देशों के संविधान में ही इन बातों को लिखित रूप में भी निर्देशित किया गया है, परंतु इन को लागू करने में वह निष्ठा नहीं दिखाई जाती है, जो भारतीय संविधान में दिखाई पड़ती है। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य को भी स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान में कुल छः मौलिक अधिकारों को नागरिकों को प्रदान किया गया है। जो उनके अधिकारो को बताने के साथ ही साथ उन्हें स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करते हैं, जिसे अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक रखा गया है। जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार व सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार सम्मिलित है। ये सभी अधिकार विभिन्न अनुच्छेदों के तहत संविधान में लिखित रूप में उपलब्ध है। ये अधिकार राज्य की मनमानी कार्रवाई से नागरिकों को बचाते हैं साथ ही साथ उन्हें स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करते हैं, जिससे वे स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जी सकें।

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार को स्थान दिया गया है। इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुनियादी अधिकार माना गया है और इसे हर कीमत पर संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। इसे सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने के एक उपकरण के रूप में भी उल्लेख किया जाता है वास्तव में भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु इसका आशय धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक से लगाया जाता है।

यह अनुच्छेद भारतीय संविधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है यह नागरिकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है, मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है और यह नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का स्पष्ट अधिकार प्रदान करता है उसके साथ ही यह राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रत्येक नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव से बचाता है।

अनुच्छेद 29 (1)

अनुच्छेद 29 का यह भाग भारत के किसी भी क्षेत्र में या भाग में निवास करने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा लिपि या संस्कृति को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का अधिकार देती हैं। यह अधिकार अल्पसंख्यकों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने और विकसित करने में सहयोग प्रदान करता है।

अनुच्छेद 29 (2)

यह अनुच्छेद किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा आदि के आधार पर राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं करने का प्रावधान करता है ।

अनुच्छेद 30 (1)

इस अनुच्छेद में सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थाएँ स्थापित करने और उनके प्रशासन का अधिकार दिया गया है ।

अनुच्छेद 30 (2)

यह अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य द्वारा सहायता देने में किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध धर्म और भाषा के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी अल्पसंख्यक समुदाय के अधीन क्यों न हो।

II. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का महत्व

किसी भी व्यक्ति एवं समाज के सशक्तिकरण का सबसे शक्तिशाली माध्यम शिक्षा है शिक्षा व्यक्तियों को न केवल अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता प्रदान करती है, बल्कि किसी भी मनुष्य के समग्र विकास के लिए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार को जानना महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक अधिकार लोगों में ज्ञान एवं कौशल के विकास में भी सहयोग करते हैं।

सांस्कृतिक अधिकार न केवल सांस्कृतिक परंपरा एवं भाषा के विरासत को सुरक्षित एवं संवर्धित करने मौका प्रदान करते हैं, बल्कि दूसरों की संस्कृतियों को भी पहचानने, समझने और उनकी सराहना करने में सहयोग प्रदान करते हैं।

1. पहचान व आत्म पहचान–

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार व्यक्ति को अपनी पहचान को बनाए रखने में मदद करते हैं, साथ ही साथ वे लोगों को अपनी धर्म, जाति, भाषा परंपरा एवं प्रथाओं को संरक्षित करने एवं विकसित करने की अनुमति प्रदान करते हैं ।

2. सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखना–

सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देते हैं तथा ये व्यक्तियों की विभिन्न संस्कृतियों को पहचानने, समझने में मदद करते है, जिससे समाज एक सहिष्णु और समावेशी समाज की तरफ अग्रसर होता है।

3. सामाजिक न्याय को बनाये रखना–

सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए भी आवश्यक होते हैं, वे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी–अपनी संस्कृति का आनंद प्राप्त करने और उसके विविध गतिविधियों में भाग लेने में मदद करते है।

4. व्यक्तिगत विकास को सहयोग देना–

ये अधिकार सभी मनुष्यों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और किसी भी प्रकार के भेदभाव और उत्पीड़न से उनका बचाव करते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखता है।

5. आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बनाए रखना–

सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार विभिन्न प्रकारों से व्यक्ति की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में भी सुधार एवं विकास अहम रोल निभाते हैं और उन्हें विकसित करने में सहयोग देते हैं।

III. निष्कर्ष

इस प्रकार से भारत का सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार न केवल अल्पसंख्यकों की संस्कृति भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार देता है बल्कि यह किसी भी धर्म मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव को भी रोकता है साथ ही साथ यह भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को संरक्षित करने के साथ–साथ मनुष्य के समग्र विकास पर भी बल देने का प्रयास करता है। यह अधिकार भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो भारत की एकता, धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता का मजबूत आधार भी है और भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल एकता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता आदि के संवैधानिक उद्देश्यों को भी संरक्षित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार भारत के प्रत्येक व्यक्ति, समाज एवं देश के उत्थान में सहायक होते हैं ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. गुप्ता, रमेश, जे० सी० अग्रवाल, (2016) : शिक्षा के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, दिल्ली दोआबा पब्लिकेशन, पृष्ठ सं० 313–319
2. गुप्ता, एम० एल०, डी० डी० शर्मा, सामाजिक मानवशास्त्र, आगरा साहित्य भवन पब्लिकेशन पृष्ठ सं० 44–48
3. गुप्ता, एस० पी०, अलका गुप्ता (2010) भारतीय शिक्षा के समसामयिक प्रकरण इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन पृष्ठ सं० 3, 4
4. लाल, रमन बिहारी (2011) शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत, मेरठ रस्तोगी पब्लिकेशन पृष्ठ सं० 544

5. पाठक, पी० डी०, जी० एस० डी०, त्यागी (2005) शिक्षा के सिद्धांत, आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर पृष्ठ सं० 352–362

Websites:

1. https://www. drishtjuidiciary.com

2. http://www. Shodhganga.ac.in